न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/138

1. दिनेश पुत्र रामलाल जाति लश्करी
2. रामलाल पुत्र प्यारे जी उर्फ प्यारेलाल जाति लश्करी
   निवासीगण ग्राम मोतीकुआं तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

– अपीलांटगण

बनाम

1. रामदेव आत्मज फूंदीलाल जाति खटीक
2. केसरीलाल आत्मज फूंदीलाल जाति खटीक
   निवासीगण ग्राम बरूंधन चौराहा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0।
3. बरधीलाल आत्मज गणपत जाति मेहर
4. उदयलाल आत्मज गणपत जाति मेहर
   निवासीगण भरता बावडी जिला बून्दी राज0।
5. मांगीलाल आत्मज हीरालाल जाति मेघवान निवासी भंवरिया कुआं तहसील बून्दी जिला बून्दी राज–मृतक जरिये कायम मुकामान–
   5/1 कैलाश बाई पत्नी स्व0 मांगीलाल जाति मेघवाल
   5/2 धर्मराज आत्मज स्व0 मांगीलाल जाति मेघवाल
   5/3 सुखदेव आत्मज स्व0 मांगीलाल जाति मेघवाल
   5/4 गुरूप्रसाद आत्मज स्व0 गांगीलाल जाति मेघवाल
   निवासीगणा रामगंज बालाजी, जिला बून्दी राज0।
6. जमना बाई पत्नी मोतीलाल जाति मेहर निवासी भरता बावडी जिला बून्दी
7. जानकी बाई पत्नी उदा जाति मेहर निवासी भरता बावडी जिला बून्दी
8. मोती वल्द बिशना मृतक जरिये कायम मुकामान–
   8/1 जमना बाई पत्नी स्व0 मोती
   8/2 बिरधीलाल आत्मज स्व0 मोती
   8/3 रामस्वरूप आत्मज स्व0 मोती
   8/4 उद्दा आत्मज मोती
   निवासीगण भरता बावडी जिला बून्दी राज0।

9. बीरम वल्द मोती
10. मोती वल्द छीतरलाल मृतक जरिये कायम मुकामान–
    10/1 देवलाल आत्मज स्व0 मोती
    10/2 रामदेव आत्मज स्व0 मोती
    निवासीगण ग्राम बरूंधन चौराहा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी राज0
11. रामप्रसाद वल्द छीतर
12. जगन लाल आत्मज छीतर मृतक जरिये कायम मुकामान–
    12/1 सत्यनारायण आत्मज जगनलाल निवासी बरूंधन चौराहा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी राज0।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–1. श्री अरूण सिंह सोलंकी, नरेन्द्र नन्दवाना, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. मुकेश शर्मा, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 3, 4, 6, 7, 9, 11 की ओर से।
3. बृजमोहन गौतम, अभिभाषक रेस्पो. संख्या 5/1 से 5/4 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 29.01.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 67/2021 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम भंवरिया कुंवा तहसील बूदी जिला बूंदी में निम्न विवरण की पुराने खसरा नम्बरान की कुल 7 किता की 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि स्थित चली आ रही थी । खसरा नं. 249 की 30 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 250 की 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं. 251 की 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 252 की 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 253 की 0 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 254 की 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 255 की 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 7 किता की 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि। उपरोक्त भूमि पूर्व में वादीगण के पूर्वजो मन्ना, बाला पु० मोती 1/2 व ओंकार वल्द तुलस्या 1/2 चमार निवासी मोतीपुरा के खाते में

दर्ज चली आ रही थी। वादीगण के पूर्वजों उक्त भूमि कभी भी बेचान नहीं की किन्तु प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने उक्त भूमि को गलत रूप से फर्जी बेचान बता कर अपने खाते दर्ज करवा ली। इसके पश्चात् प्रतिवादी नं० 1 ने कुछ भूमियां बेचान कर दी जिनमें से प्रतिवादी नं० 5 को ख०न० 544/249 की 5 बीघा भूमि बेचान कर दी एवं प्रतिवादी नं0 5 ने उसमें से 2 बीघा 10 बिस्वा के दो टुकडे प्रतिवादी नं0 6–7 को बेचान कर दी जो प्रतिवादी न० 6 के नाम ख0न0 637/544 से व प्रतिवादी नं0 7 के नाम ख0 न0 638/544 से दर्ज कर दी गयी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 251 की 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 543/249 की 5 बीघा, ख0 न0 545/49 की 11 बीघा व ख0 न0 546/249 की 9 बीघा 6 बिस्वा कुल 26 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी नं0 3 व 4 को बेचान कर दी जो उनके खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी सलंग्न है। इस प्रकार शेष खसरा नम्बर 250, 252, 253, 254, 255 की 10 बीघा 7 बिस्वा भूमि को भी प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने प्रतिवादी नं0 8 ता 12 को बेचान कर दी जो शामलाती रूप से प्रतिवादी नं0 8 ता 12 के नाम दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सलंग्न है। उपरोक्त भूमियों को प्रतिवादी नं० 1 व 2 ने अपने नाम गलत रूप से फर्जी बेचान से दर्ज कराने पर उसका फोजदारी मुकदमा भी पेश किया हुआ है। राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त करने पर तथ्यों की जानकारी हुई। यह कि उपरोक्त भूमि मन्ना, बाला पि० मोती व ओंकार वल्द तुलस्या के खाते दर्ज थी। बाला व ओंकार लाओलाद फोत हो गये। मन्ना जी के प्यारे लाल जी वारिस थे प्यारेलाल जी का एक पुत्र रामलाल हुआ। तथा वादी नं0 2 रामलाल प्यारेलाल का पुत्र व वादी नं0 1 रामलाल का पुत्र है। इस कारण उपरोक्त भूमि के वादीगण खातेदार घोषित होने के अधिकारी है तथा उक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते से हटायी जाकर वादीगण अपने खाते दर्ज कराने के अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम अलग अलग खाते में दर्ज है। वादीगण ने उक्त भूमियों को वादीगण के नाम दर्ज कराने को प्रतिवादीगण से कहा तो उन्होने उक्त भूमियां वादीगण के नाम दर्ज कराने व खातेदार घोषित कराने से दिनांक 20–2–2020 को इन्कार कर दिया। बल्कि प्रतिवादीगण ने उक्त भूमियों को आगे, रहन बेचान अन्तरण करने की धमकी दी। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के लिये माननीय न्यायालय में घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज तथा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। इस कारण यह वाद पेश है। वाद कारण प्रतिवादी नं0 1व 2 द्वारा फर्जी बेचान के आधार पर अपने खाते दर्ज कराने पर तथा समय समय पर प्रतिवादी नं0 3 ता 12 को अलग अलग भूमियो का बेचान करने पर राजस्व रिकार्ड नकले प्राप्त करने तथा दिनांक 20–2–2020 को वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमियों को वादीगण के खाते दर्ज कराने की कहने पर उनके द्वारा मना करने व उक्त भूमियों का आगे रहन बेचान करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। अतः

(8)

वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे– (1) ग्राम भंवरिया कुवां तहसील बूंदी जिला बूंदी की खसरा नं. 251 की 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 543/249 की 5 बीघा, ख0न0 545/249 की 11 बीघा, ख0न0 546/249 की 9 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 638/544 की 2 बीघा, ख0न0 637/544 की 2 बीघा, खसरा नं. 250 की 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा न 252 की 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं 253 की 0 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 254 की 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 255 की 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 11 किता की 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी नं0 2 ता 12 का नाम डिलिट किये जाने का व उक्त भूमि वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।(2) प्रतिवादी नं 13 को आदेश दिया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त कर अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे ।(3) स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम भंवरिया कुवा तहसील बूंदी जिला बूंदी की खसरा नं. 251 की 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0न0 543/249 की 5 बीघा, ख0न0 545/249 की 11 बीघा, ख0न0 546/249 की 9 बीघा 6 बिस्वा, ख0न0 638/544 की 2 बीघा, ख०न० 637/544 की 2 बीघा, खसरा नं. 250 की 2 बीघा 18 बिस्वा. खसरा नं. 252 की 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 253 की 0 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं. 254 की 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नं. 255 की 2 बीघा 8 बिस्वा कुल 11 किता की 41 बीघा 18 बिस्वा भूमि को अथवा उसके किसी भाग की भूमि को किसी प्रकार से रहन, बेचान, अन्तरण व खुर्द बुर्द आदि नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।(5) वादीगण को प्रतिवादीगण से मुकदमें का खर्चा दिलाया जावे।(6) अन्य सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2024 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 29.04.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 29.04.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

कोटा

(9)

अपील संख्या 2024/138
दिनेश बनाम रामदेव

अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील धारा 96 आर.टी.एक्ट. प्रार्थना–पत्र के निर्णयाधीन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 6, 7, 9, 11 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 लगायत 5/4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 आर.टी.एक्ट. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त अपील में प्रार्थीगण द्वारा बून्दी एसडीओ बून्दी द्वारा जारी सम्मन से ज्ञात हुआ है कि कुछ प्रतिवादीगण की मृत्यु हो चुकी है जिस कारण से नये कायम मुकाम जो उनके मृतको के वारिस है, को उक्त अपील में पक्षकारा बनाया गया है। उक्त अपील में अपीलांट द्वारा नये पक्षकार बनाये गये है जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना न्यायहित मे आवश्यक हो जाता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त अपील में नये पक्षकार को कानूनी मान्यता दिये जाने एवं रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करे।

7. अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 आर.टी.ए. प्रस्तुत कर में मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिए जाने का अनुतोष चाहा है। अपीलांटगण ने मृतक प्रतिवादीगण के वारिसान को प्रश्नगत अपील में रेस्पोडेन्टगण के रूप में पक्षकार बनाया जाकर अपील प्रस्तुत की है। हमारे मत में मृतक पक्षकारान के वारिसान को पक्षकार कायम किया जाकर उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मृतक प्रतिवादीगण के कायम मुकाम को प्रश्नगत अपील में रेस्पोडेन्ट के रूप में पक्षकार बनाया जाकर रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

8. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। पत्रावली पर प्राप्त तथ्यों के

अनुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री सर्वथा विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का दावा प्रारम्भिक स्टेज पर ही अबेट मानते हुये खारिज कर दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये कायम मुकाम के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण उक्त वाद को अबेट मानते हुये खारिज कर दियागया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रार्थना पत्र में उदारता का दृष्टिकोण अपनाना चाहिये था क्योंकि वादीगण ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने से कानून से अनभिज्ञ है इस कारण यदि अधिवक्ता के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई भूल हो जाती है तो उसके लिये पक्षकार को दण्डित नहीं किया जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के द्वारा प्रस्तुत किये गये दस्तावेजो पर किसी भी प्रकार का ध्यान आकर्षिक नहीं किया गया एवं आनन फानन में उक्त वाद को धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के अभाव में उक्त वाद को अबेट करके खारिज फरमा दिया गया जो कि विधि विरूद्ध है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 निरस्त किए जाने तथा अपील को रिमाण्ड की जाकर पुन सुनवाई हेतु आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

9. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 6, 7, 9, 11 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रश्नगत वाद वादीगण अपीलांटगण द्वारा मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। इसलिए अपीलांटगण वादीगण का कोई वाद कारण पैदा नहीं होता है। वाद कारण समाप्त हो जाने से वाद पोषणीयता के बिन्दु पर ही खारिज किए जाने योग्य है। प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा दिनांक 16.12.2022 को ही मृतक प्रतिवादीगण के मरने की विधिवत सूचना अपीलांटगण को दी जा चुकी थी लेकिन अपीलांटगण ने अधीनस्थ न्यायालय में निर्धारित समयावधि में कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक 16.12.20222 को मृत्यु की सूचना प्राप्त होने के उपरांत भी जानबूझकर अपीलांटगण द्वारा कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में उक्त वाद स्वतः ही अबेट होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलांटगण द्वारा 2 वर्ष पश्चात कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाधित है। साथ ही अपीलांटगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कायम मुकाम के प्रार्थना–पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद अबेट होना मानते हुए प्रश्नगत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की है जो विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें

(11)

ो प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत पील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

10. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 5/1 से 5/4 ने अपनी बहस में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 4, 6, 7, 9, 11 की बहस का समर्थन किया तथा अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

11. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद अबेटमेन्ट में खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.05.2024 में अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण अपीलांटगण के द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रतिवादी संख्या 5, 8, 10, 12 के कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर प्रश्नगत वाद को अबेट होना मानकर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है। हमारे मत में मृतक पक्षकार के समस्त विधिक वारिसान किसी भी प्रकरण में आवश्यक पक्षकार की श्रेणी में आते है। मृतक पक्षकार के विधिक वारिसान एवं कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिए जाने के उपरांत ही किसी न्यायसंगत निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 5, 8, 10, 12 के कायम मुकाम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा चुका था। हमारे मत में किसी भी प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने उपरांत ही किसी न्यायोचित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक पक्षकार के कायम मुकामान को रिकॉर्ड पर लिए जाने के उपरांत हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत ही गुणावगुण पर अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत वाद अबेट होना मानकर अबेटमेन्ट में निरस्त किए जाने का आदेश अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 में अंकित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। चूंकि प्रश्नगत वाद हक घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का है अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में उभयपक्षकारान के हक अधिकारों का निर्धारण उन्हें साक्ष्य

सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत की किया जाना उचित है। अतः हमारे मत में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

12. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक) बून्दी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 67/2021 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक पक्षकारान के समस्त विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेकर, उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सनुवाई हेतु दिनांक 04.03.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

14. निर्णय आज दिनांक 29.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

29/1/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा